निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 ज्येष्ठ 1936 (श0)

(सं0 पटना 444) पटना, वृहस्पतिवार, 22 मई 2014

सं0 6 / खा0म0 पटना (नीति)–01 / 2013–359(6) / रा0

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

————————

संकल्प

19 मई 2014

विषय :–सरकारी भूमि के अंतर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण करने की शक्ति का प्रत्यायोजन करने के सम्बन्ध में।

प्रदेश में बड़े पैमाने पर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन स–समय प्रारम्भ होने एवं लागत व्यय में अपेक्षित बचत होने के साथ ही, विकास एवं जन–कल्याण सम्बन्धी कार्यों का लाभ त्वरित रूप से मिलने के उद्देश्य से उक्त योजनाओं के लिए सरकारी / ग़ैर मज़रूआ आम भूमि का शीघ्र हस्तांतरण किया जाना अपेक्षित है। अतः राज्य सरकार द्वारा सरकारी / ग़ैर मज़रूआ आम भूमि के अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नानुसार किया जा रहा हैः–

(क) तीन एकड़ तक सरकारी / ग़ैर मज़रूआ आम भूमि का अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण, चाहे वे जिस उद्देश्य से हों, की शक्ति समाहर्त्ता को प्रत्यायोजित की जाती है।

(ख) तीन एकड़ से अधिक पाँच एकड़ तक सरकारी / ग़ैर मज़रूआ आम भूमि का अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण, चाहे वे जिस उद्देश्य से हों, की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित की जाती है।

(ग) पाँच एकड़ से अधिक सरकारी / ग़ैर मज़रूआ आम भूमि का अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से होगा।

(घ) समाहर्त्ता/प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सम्बन्धित विभागों से सहमति प्राप्त करने के उपरांत सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए अधियाची विभाग द्वारा निर्धारित भूमि के रक़बा के अनुसार सरकारी/ग़ैर मज़रूआ आम भूमि का अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण किया जायेगा।

(ङ) समाहर्त्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा ख़ास महाल मैनुअल एवं सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों [परिपत्र सं0–217 (6)/रा0, दिनांक 24.02.2010 जिसका सम्बन्ध जल निकाय, उत्सर्जन या प्रवाह/पुनरूद्धार की संभावना की जांच से है, सहित] में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए ग़ैर मज़रूआ आम भूमि जिसकी प्रकृति बदल गई हो एवं वह आम उपयोग में नहीं हो, का सम्बन्धित विभाग को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तांतरण करने सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जाएगा।

(च) भविष्य में किसी विभागीय योजना के लिए सरकारी/ग़ैर मज़रूआ आम भूमि के हस्तांतरण/बन्दोबस्ती की शक्ति का प्रत्यायोजन अथवा पूर्व में प्रदत्त शक्ति की वापसी के लिए माननीय मुख्य मंत्री, बिहार का आदेश पर्याप्त होगा।

(छ) पूर्व में प्रत्यायोजन सम्बन्धी निर्गत सभी विभागीय आदेश उपरोक्तानुसार संशोधित माने जाएंगे।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
व्यास जी,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 444-571+2000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in